[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

(IRRIGATION BRANCH)

Notification

The 6th July, 2007

No. S. O. 58/H. A. 29/1974/S. 65/2007.—The following draft of the rules further to amend the Haryana Canal and Drainage Rules, 1976, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 65 of the Haryana Canal and Drainage Act, 1974 (Act 29 of 1974), is hereby published for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of rules will be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of fifteen days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Secretary to Government, Haryana, Irrigation Department, Chandigarh, from any person with respect to the draft of rules before the expiry of the period so specified.

Draft Rules

1. These rules may be called the Haryana Canal and Drainage (Amendment) Rules, 2007.

2. In the Haryana Canal and Drainage Rules, 1976, in the "Schedule of Water Rates", in Part II, under heading "Other than irrigation purposes", under columns 1, 2, 3 and 4, for serial numbers 1, 2 and 3 and entries thereagainst and notes thereunder, the following serial numbers and entries thereagainst and notes there under shall be substituted, namely :—

1	2	3	4
"1.	Brick making and pisewall building and water for construction work	Per 2500 Cubic feet	Rs. 500.00
2.	Water Supply in Bulk :— Industries, Power Plants and other Bulk users	Per 2500 Cubic feet	Rs. 250.00
3.	Drinking purposes	Per 2500 Cubic feet	Rs. 10.00

Note :

1. 10% surcharge shall be charged extra for not releasing the payment within one month of raising the bills and after one month surcharge will be charged @1% per month of the balance amount.

2. The bill will be raised monthly.".

R. N. PRASHER,

Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government, Haryana, Irrigation Department, Chandigarh.

भाग III

हरियाणा सरकार

लोक निर्माण विभाग

(सिंचाई शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 6 जुलाई, 2007

संख्या का० आ० 58/ह० अ० 29/1974/धा० 65/2007.—हरियाणा नहर तथा जल निकास नियम, 1976, को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा नहर तथा जल निकास अधिनियम, 1974 (1974 का हरियाणा अधिनियम 29), की धारा 65 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं, इसके द्वारा उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात्, सरकार नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा), चण्डीगढ़ द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जाएं, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. ये नियम हरियाणा नहर तथा जल निकास (द्वितीय संशोधन) नियम, 2007, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा नहर तथा जल निकास नियम, 1976 में, "जल दरों की अनुसूची" में, भाग II, "सिंचाई परियोजनाओं से भिन्न" शीर्ष में, खाना 1, 2, 3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 1, 2 तथा 3 तथा उनके सामने प्रविष्टियों तथा उनके नीचे टिप्पण के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा उनके सामने प्रविष्टियां तथा उनके नीचे टिप्पण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1	2	3	4
"1.	ईंट बनाना तथा कच्ची ईंटों की दीवार कर निर्माण तथा अन्य निर्माण कार्य के लिए जल	प्रति 2500 घन फुट	500.00 रुपये
2.	बल्क में सप्लाई किया गया जल :— उद्योग, विद्युत संयंत्र तथा अन्य बल्क उपयोगकर्ता	प्रति 2500 घन फुट	250.00 रुपये
3.	पेय प्रयोजनों	प्रति 2500 घन फुट	10.00 रुपये

टिप्पण :

1. बिलों के जारी करने के एक मास के भीतर भुगतान न किये जाने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार प्रभारित किया जाएगा और एक मास के बाद बकाया राशि पर एक प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार प्रभारित किया जाएगा।

2. बिल प्रति मास जारी किया जाएगा। "।

आर० एन० पराशर,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
सिंचाई विभाग, चण्डीगढ़।